राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2049/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता–तृतीय, राज0 जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह,वाहन चालक
जरिये मै0 लालजी मूलजी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, 2222 चूना मण्डी
प्रथम मंजिल,पहाड गंज, नई दिल्ली .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 07/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 1045/आरएसटी/एनआरडी/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–प्रथम, जोन–प्रथम जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.1995 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति 2,45,700/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.11.1995 को सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आरजे–14जी/3421 को चौमू रोड़ के पास चेक किया। वाहन में 600 टिन देशी घी जो कि दिल्ली से सिलवासा के लिये परिवहनित किया जा रहा था, से सम्बन्धित दस्तावेजात की जांच की गई। वाहन चालक तथा ट्रांसपोर्ट कं0 के कार्यकर्ता श्री देवेन्द्र के बयान लिये गये, जिनके द्वारा उक्त माल जयपुर में उतारा जाना जहिर किया गया। इस प्रकार कर चोरी की नीयत से माल जयपुर लाने की पुष्टि होने के कारण, सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 नियम 55 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में नियत तिथी को न तो कोई उपस्थित हुआ एव न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इस कारण सशक्त अधिकारी ने मिथ्या दस्तावेजों के जरिये कर चोरी की नियत से परिवहनित किये जा रहे माल कीमतन रू0 8,19,000/– पर अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति रू0 2,45,700/– प्रत्यर्थी के विरूद्ध आदेश दिनांक 18.11.1995 द्वारा आरोपित कर दी गई। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 16.11.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा माल प्रेषक एवं प्रेषिति के पूर्ण पते वक्त जांच सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे, जो कि अभियोग पत्रावली पर मौजूद है, जिनकी कोई जांच सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गई थी। केवल माल वाहन चालक अथवा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कार्यकर्ता के बयानों के आधार पर यह मान लेना कि, परिवहनित माल मिथ्या दस्तावेजों के जरिये परिवहनित किया जा रहा था व उक्त माल जयपुर में ही उतारा जावेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा परिवहनित माल को राज्य में उतारा जाना अथवा विक्रय किया जाना कही प्रमाणित नहीं किया गया है। मौजूद दस्तावेजों के अनुसार परिवहनित माल राज्य बाहर दिल्ली से राज्य बाहर सिलवासा के लिये था एवं वांछित दस्तावेजों से समर्थित था, जिसकी पुष्टि अपीली मीमों के साथ संलग्न दस्तावेजों से भी होती है। प्रेषक एवं प्रेषिति व्यवसायी है जिनकी भी कोई जांच सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं की गई थी। सक्षम अधिकारीं द्वारा दस्तावेजों में अंकित प्रेषक एवं प्रेषित का बिना सत्यापन किये, जो अभियोग पत्रावली से प्रमाणित भी है, शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, वह न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवं बोगस भी प्रमाणित नही किया गया है, एवं ना ही व्यवहारी का करापवंचन का दोषी मनोभाव प्रमाणित किया गया है। केवल मात्र संदेह के आधार पर की गई कार्यवाही को विधिक व न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है, अतः सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण, अपीलीय अधिकारी ने उचित आधार पर अपास्त की है, जो उचित प्रतीत होती है।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 16.11.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष